न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 06/2015

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2015/00046

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 दीपाराम पुत्र जुंजाराम (फौत)		1 वेलाराम पुत्र मलाराम
के कायम मुकाम		कौम–रेबारी, निवासी–कांटोल
अ–कृष्ण कुमार पुत्र दीपाराम		तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
ब–जैसाराम पुत्र दीपाराम		2 तलसाराम पुत्र जुंजाजी (फौत)
स–केसीदेवी पत्नी दीपाराम		के कायम मुकाम
जातियान–रेबारी, साकिनान्–		अ–जोगाराम पुत्र तलसाराम
कांटोल, तहसील–सांचौर		ब–वीराराम पुत्र तलसाराम
2 भारताराम पुत्र जुंजाजी, जाति–		स–देमा पुत्री तलसाराम
रेबारी, निवासी–कांटोल, तहसील		द–नावीदेवी पत्नी तलसाराम
सांचौर, जिला–जालोर		3 वसनाराम पुत्र नारणाराम
		4 मेघा पुत्र नारणाराम
		5 प्रेमा पुत्र नारणाराम
		6 बोगी पत्नी नारणाराम
		जातियान–रेबारी, निवासीगण–
		कांटोल, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
		7 भूमिधारी तहसीलदारजी सांचौर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 20.07.2015

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी संख्या 1 (अ, ब, स,) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ईब्राहिम शाह जुनेजा उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकमा अ एवं 3, 4, 5, 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 2 के कायम मुकाम ब, स, 5 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।
5. अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:17 IST
Reason: SelfAttested

:– निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 02 रकबा 3.70 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम का आया हुआ है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज, मगर भाईयान बन्ट अनुसार हम प्रार्थीगण को बन्ट में दी गई है, जिस पर हमारा कब्जा काश्त व हमारी ढ़ाणी व रहवास है तथा खसरा नंबर 1/532 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन बैरा भी हमारा स्थित है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से सहखातेदारान् तलसाराम पि. जूंजा, वसना,

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

मेघा, प्रेमा पि. नारणाराम, बोगी धर्मपत्नी स्व. नारणाराम, कौम–रेबारी, साकिन–कांटोल को बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है, मगर उनसे कोई सीधा अनुतोष नहीं चाहा गया है व फॉर्मल पक्षकार है। हमारे उक्त खातेदारीसुदा, कब्जासुदा खेत खसरा नंबर 01 रकबा 3.70 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम में आने जाने का कोई रेकर्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन करने हेतु खसरा नंबर 592/5 रकबा 1.72 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम, चाही सोयम में से आवागमन करते है जो उक्त खसरा नंबर 592/5 रकबा 1.72 हैक्टेयर का खातेदार वेला वल्द मला, कौम–रेबारी, साकिन–कांटोल अप्रार्थी है लेकिन उक्त रास्ता रेकर्डेड रास्ता नहीं है उक्त मौके पर स्थित रास्ते को प्रार्थना–पत्र के साथ सलंग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाया गया है। प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मौजा कांटोल में खसरा नंबर 01 रकबा 3.70 हैक्टेयर की स्थित है, जिसमें आने जाने हेतु प्रार्थीगण अप्रार्थी वेला वल्द मला, कौम–रेबारी, साकिन–कांटोल के खातेदारी खेत मौजा–कांटोल, उपखण्ड सांचौर में से 200 मीटर लंबाई व 12 फीट चौड़ाई में अर्थात् रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि की मांग करता है, सो उसे नियमानुसार दिलाये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना–पत्र कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सही होने से स्वीकार है। खसरा संख्या 1 रकबा 3.70 हैक्टेयर भाई बंट के अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है उक्त खेत में आवागमन करने के लिए खसरा संख्या 592/5 रकबा 1.72 हैक्टेयर में से रास्ता दिया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई उजर या ऐतराज नहीं है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तो हमे कोई कोई उजर या ऐतराज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपने बंटसुदा होने का खसरा नंबर 1 की भूमि का कथन कियाहै जो सरासर गलत है, चूंकि उक्त भूमि का कोई विधिवत बंटवाड़ा होने के कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। जिससे उक्त कथन मानने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है जबकि ग्राम कांटोल के खसरा नंबर 592/5 रकबा 1.72 हैक्टेयर में से प्रार्थीगण ने कभी आवागमन नहीं किया है न ही मौके पर कोई रास्ता चलता था, न ही है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। उक्त भूमि को छोटे छोटे टुकड़ो में विभक्त करने, काश्त की सुविधा में दुविधा पैदा करने के आशय से हमे तंग परेशान करने के हेतु मनगढ़त निराधार प्रार्थना–पत्र पेश किया है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण वर्षो से खसरा नंबर 8 व 9 के पश्चिम माठ के राजस्व नक्शे में डोट–डोट रास्तानुमा स्थान से व खसरा नंबर 11 के उतरी माठ के राजस्व नक्शे में डोट डोट रास्तानुमा स्थान की भूमि से प्रार्थीगण आवागमन करते है जो खसरा नंबर 9 प्रार्थीगण की भूमि है जिसमें से रास्ता मौजूद है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शे अनुसार कोई रास्ता नहीं है, जवाब के साथ प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'ब' अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आना जाना करते थे, जो प्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया गया है जो सुविधाजनक व उपयुक्त रास्ता था। उक्त नक्शा परिशिष्ठ 'ब' को जवाब का अभिन्न अंग माना जाकर साथ पढ़ा [illegible] का निवास अप्रार्थीगण के सेढ़ा सेढ खेत में नहीं है तथा न ही कोई कब्जा काश्त है। [illegible] नंबर [illegible]/532 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1 रकबा 3.70 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के [illegible] खातेदार तलसा पुत्र जुंजा, वसना, मेघा, प्रेमा पिसरान नारणा, बोगी पत्नी नारणा के नाम दर्ज है जिन्होंने कोई प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया है, प्रार्थीगण ने मुझ अप्रार्थी के विरोधी लोगों के बहकावे में आ[illegible] तंग परेशान करने के लिए प्रार्थना–पत्र पेश किया जो खारिज योग्य है। तहसीलदार सांचौर द्वारा दिनांक 22.08.2015 को मौके पर आकर कभी मौका नहीं देखा है तथा न ही मौके पर कोई मौका फर्द बनायी है, तहसीलदार ने ऑफिस में बैठे–बैठे अपनी मन मर्जी के अनुसार प्रार्थीगण को फायदा पहुंचाने व अप्रार्थी को नुकसान पहुंचाने के आशय के बिना नोटिस दिये एक तरफा मौका रिपोर्ट बनायी है जो सरासर गलत है व प्राकृतिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व है। अप्रार्थी नें मौका फर्द पर कोई अंगुठा/हस्ताक्षर नहीं किये है। यदि ऐसे कोई हस्ताक्षर है तो व फर्जी एवं जाली है। जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा 340 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रार्थीगण व तहसीलदार सांचौर के विरूद्व कार्यवाही की जावें। जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र गलत निराधार व कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से खारिज फरमावें तथा प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता अत्यंत असुविधाजनक व निकटतम रूट का नहीं होने से व प्रार्थीगण के आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता आवागमन हेतु पूर्व से, पीढीयों से स्थित होने व अपने पड़ौसी खातेदारों के खेत में भी बिल्कुल नजदीक का व सुविधाजनक का रास्ता स्थित होते हुए उनको बंद कर उक्त तथ्यों को छुपाकर हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने, खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने, काश्त की सुविधा में दुविधा पैदा करनें के आशय से धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के विपरित प्रार्थना–पत्र पेश किया जो इसी विषयवस्तु, समान पक्षकार का दावा सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने से हस्तगत प्रकरण के संक्षिप्त जांच की प्रक्रिया चलने योग्य नहीं होने व भूमिधारी तहसीलदार सांचौर को पक्षकर संयोजित नहीं करने के कानूनी पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें तथा हस्तगत प्रकरण में समान विषयवस्तु व समान पक्षकारों के बीच मामला अदालत में विचाराधीन है जिससे उक्त अनुतोष की प्रकरणों की सुनवाई अधिकारिता का प्रश्न विवादित है। जिससे अधिकारिता के बारे में विवाद धारा 243 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 में तय कराना आवश्यक है, उसके बिना उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना कतई कानूनी पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है मगर भाईयान् बंट अनुसार हम प्रार्थीगण को बंट में दी गई है जिस पर हमारा कब्जा काश्त व हमारी ढ़ाणी व रहवास है तथा खसरा संख्या 1/532 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन बेरा भी हमारा स्थित है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से सहखातेदारान् तलसाराम पि. जूंजा, वसना, मेघा, प्रेमा पिसरान नारणाराम, बोगी पत्नी स्व. नारणाराम, कौम–रेबारी, साकिनान–कांटोल को बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया मगर उनके कोई सीधा अनुतोष नहीं चाहा गया है व फॉर्मल पक्षकार है हमारे उक्त खातेदारीसुदा, कब्जासुदा खेत खसरा संख्या 01 रकबा 3.70 हैक्टेयर में आने जाने का कोई रेकर्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन करने हेतु खसरा संख्या 592/5 रकबा 1.72 हैक्टेयर में से आवागमन करते है जो उक्त खसरा संख्या 592/2 रकबा 1.72 हैक्टेयर का खातेदार वेला वल्द भला है लेकिन उक्त रास्ता रेकर्डेड रास्ता नहीं है। अतः अप्रार्थी की खातेदारी खेत मौजा कांटोल में से 200 मीटर लंबाई व 12 फीट चौड़ाई में अर्थात् 0.08 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु राजस्व रेकर्ड में अभिलिखित करने हेतु आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 6 द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 592/5 रकबा 1.72 हैक्टेयर में से रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 को कोई उजर या ऐतराज नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप[illegible] हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र गलत निराधार व [illegible] के विपरित होने से खारिज फरमावें तथा प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया [illegible] रूट का नहीं होने से व प्रार्थीगण के आने जाने के लिए वैकल्पिक [illegible] पीढीयों से स्थित होने व अपने पड़ौसी खातेदारों के खेत में भी बिल्कुल नजदीक का व सुविधाजनक [illegible]स्ता स्थित होते हुए उनको बंद कर उक्त तथ्यों को छुपाकर हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने, खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करने, काश्त की सुविधा में दुविधा पैदा करनें के आशय से धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के विपरित प्रार्थना–पत्र पेश किया जो इसी विषयवस्तु, समान पक्षकार का दावा सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने से हस्तगत प्रकरण के संक्षिप्त जांच की प्रक्रिया चलने योग्य नहीं होने व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:17 IST
Reason: SelfAttested

भूमिधारी तहसीलदार सांचौर को पक्षकर संयोजित नहीं करने के कानूनी पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावें तथा हस्तगत प्रकरण में समान विषयवस्तु व समान पक्षकारों के बीच मामला अदालत में विचाराधीन है जिससे उक्त अनुतोष की प्रकरणों की सुनवाई अधिकारिता का प्रश्न विवादित है। जिससे अधिकारिता के बारे में विवाद धारा 243 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 में तय कराना आवश्यक है, उसके बिना उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना कतई कानूनी पोषणीय नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात् एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :–

251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को स्थापित करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.02.07 17:04:17 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जाएगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा साथ ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तथा निकटतम स्थान से मार्ग स्वीकृत किया जावेगा। नायब तहसीलदार सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.08.2015 से स्पष्ट है कि प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाये स्थान पर रास्ता मौके पर मौजूद है। प्रार्थीगण के इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता सुविधाजनक है तथा अन्य कोई विकल्प या रास्ता उपलब्ध नहीं है दोनों पक्षों के अनुसार यह प्रभावित रास्ता सुविधाजनक एवं निकटतम है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमार यह विनम्र अभिमत है कि सरहद मौजा कांटोल के खसरा संख्या 592/5 रकबा 1.72 हैक्टेयर में से 200 मीटर लंबाई व 12 फीट चौडाई अर्थात् रकबा 0.08 हैक्टेयर भाग की खातेदार की अभिधृति निर्वापित करते हुए, खातेदारी भूमि में से कम करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत समझते है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। नायब तहसीलदार सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट के प्रस्तावित नजरी नक्शे अनुसार ग्राम कांटोल के खसरा संख्या 592/5 रकबा 1.72 हैक्टेयर में से 200 मीटर लंबाई व 12 फीट चौडाई अर्थात् कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि खातेदार की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा अप्रार्थी की खातेदारी भूमि से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70 (1) () (क) के अनुसार वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि की गणना कर निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 592/5 के खातेदार को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई हेतु भुगतान करावें।

प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। अप्रार्थी खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक की ऐसे खातेदार/वारीसान् राशि प्राप्त न कर लें। इस राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **17.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2025.02.07 17:04:17 IST
Reason: SelfAttested